BSNLEU

BSNL EMPLOYEES UNION

Recognised Union in BSNL

(Registered Under Indian Trade Union Act 1926.Regn No. 4896)

P. Abhimanyu
General Secretary

बीएसएनएलईयू/102 (सर्कुलर सं. 5) 12 अगस्त, 2010

संयुक्त मोर्चे का आंदोलन और समझौते के लिए आह्वान

प्रिय कामरेडों,

संयुक्त मोर्चे की 20.07.2010 को हुई मीटिंग में आंदोलन के कार्यक्रम अर्थात 05.08.2010 को प्रदर्शन और 12.08.2010 को धरना देने के आह्वान का निर्णय लिया गया था। संयुक्त मोर्चा नॉन-एक्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी (एनईपीपी) के लागू न करने के कारण पैदा हुई घुटन से यह आह्वान करने पर मजबूर हुआ था। एनईपीपी के लिए आदेश 23.03.2010 को जारी कर दिया गया था। लेकिन यह अधिकतर सर्किलों में लागू नहीं हुआ। यह देरी बीएसएनएल कंपनी द्वारा स्पष्टीकरण जारी न करने के कारण हुई जिसकी अधिकतर सर्किल कार्यालयों द्वारा मांग की गई थी। बीएसएनएलईयू ने बीएसएनएल कंपनी से कर्मचारियों को प्रमोशन की तिथि के बजाए अगले इन्क्रीमेंट की तिथि (डीएनआई) पर वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रयोग करने हेतु कर्मचारी को अधिकार देते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के लिए भी अनुरोध किया था।

बीएसएनएल कंपनी से हमारे बार-बार आवेदन और अनुरोध करने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। इन परिस्थितियों में संयुक्त मोर्चे को आंदोलनों का आह्वान करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन 05.08.2010 की सुबह को श्री गोपाल दास जिन्होंने हाल ही में सीएमडी का पदभार संभाला है हस्तक्षेप किया और आंदोलनों को स्थगित करने के अनुरोध के साथ बातचीत के लिए बुलाया। उनके अनुरोध के अनुरूप संयुक्त मोर्चे ने उसी दिन प्रदर्शनों के आह्वान को स्थगित कर दिया। बीएसएनएल कंपनी ने भी उसी दिन अधिसूचना जारी कर दी और संयुक्त मोर्चे को 09.08.2010 को बातचीत के लिए आमंत्रित किया।

- 09.08.2010 को हुई बातचीत में मैनेजमेंट ने यह आश्वासन दिया कि एनईपीपी पर जरूरी स्पष्टीकरण इसी सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने हमारी यह मांग भी मान ली कि कर्मचारियों को प्रमोशन की तिथि के बजाए अगले इन्क्रीमेंट की तिथि (डीएनआई) पर वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रयोग करने का अधिकार दिया जाएगा।
- मैनेजमेंट ने बीएसएनएलएमआरएस को दो बच्चों तक सीमित रखने के बीएसएनएल कंपनी के आदेश को वापस लेने का भी आश्वासन दिया। बीएसएनएलएमआरएस में सुधार की मांग के बारे में मैनेजमेंट ने एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया और इसके लिए आने वाली नेशनल काउंसिल की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा।
- विभिन्न काडरों में एससी/एसटी के पदों की बैक-लॉग रिक्तियों को भरने के बारे में प्रबंधन ने बताया कि टीटीए काडर के संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिये गए हैं और रिक्तियों के आंकलन के बाद दूसरे काडरों के लिए भी आदेश जारी कर दिए जाऐंगें। एनईपीपी में आरक्षण लागू करने की हमारी मांग के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय लिया गया कि स्टाफ पक्ष इस मुद्दे पर प्रबंधन को एक नोट सौंपेगा।
- स्टाफ रखने के नए मानकों पर प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि इसे लागू करने से पहले स्टाफ पक्ष के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।

Central Head Quarters
Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar, Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi-110 008
Phones: 011-25705385 (Office), 011-25894862 (Fax)
Website: www.bsnleuchq.com, E-mail: chqbsnleu@sify.com

BSNL EMPLOYEES UNION
BSNLEU
Recognised Union in BSNL
P. Abhimanyu
General Secretary
(Registered Under Indian Trade Union Act 1926.Regn No. 4896)

- 01.01.2007 को या उस के बाद नियुक्त किए गए लोगों के वेतन में कटौती के संबंध में विस्तृत चर्चा के बाद प्रबंधन हमारे प्रस्तावों पर आगामी नेशनल काउंसिल मीटिंग में चर्चा करने के लिए सहमत हुआ।
- बचे हुए कैजुअल श्रमिकों के नियमितीकरण के मुद्दे पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर अलग से चर्चा की जाएगी।
- जहां तक अनॉमली (विसंगति) के हल न होने के संबंध में प्रबंधन कोई ठोस उत्तर नहीं दे सका। हमने यह स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी और आदेश तुरंत जारी किए जाने चाहिएं। लेकिन अगले दिन 10.08.2010 को प्रबंधन ने हमें यह सूचित किया कि अनॉमली पर आदेश नेशनल काउंसिल की आगामी मीटिंग (31.08.2010) से पहले जारी कर दिया जाएगा।

10.08.2010 को संयुक्त मोर्चे की एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर सुधारों पर संतोष व्यक्त किया गया और 12.08.2010 के धरना कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

विस्तारित केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी मीटिंग

केन्द्रीय सचिव मंडल ने विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीईसी की अगली मीटिंग एक विस्तारित केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी मीटिंग के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है। विस्तारित केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी मीटिंग में केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी सदस्यों के अलावा हमारे सभी जिला सचिव भी भाग लेंगे। यह 27 से 29 सितम्बर 2010 को नागपुर में आयोजित की जाएगी। सीएचक्यू सभी सीईसी सदस्यों और जिला सचिवों से यात्रा के लिए काफी पहले ही अपने टिकट बुक करा लेने का अनुरोध करता है। विस्तारित सीईसी के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जाएगी और केन्द्रीय सचिव मंडल जिला सचिवों द्वारा अदा की जाने वाली डेलीगेट फीस तय करेगा। विस्तारित सीईसी की स्वागत समिति ने सीएचक्यू को सूचित किया है कि धन की कमी के कारण किसी विजीटर की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः **सर्किल और जिला सचिवों से अनुरोध है कि वे अपने साथ किसी विजीटर को न लाएं और स्वागत समिति के साथ सहयोग करें।**

78.2% आईडीए विलय

जेसीए ने 20.07.2010 को सीएमडी श्री कुलदीप गोयल के साथ मुद्दे पर चर्चा की। वर्तमान सीएमडी श्री गोपालदास भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। लंबी चर्चा के बाद सीएमडी श्री कुलदीप गोयल ने आश्वासन दिया कि मुद्दे को अगली बोर्ड मीटिंग में स्वीकृति के पेश किया जाएगा। बाद में हमें पता लगा कि 30.07.2010 को हुई बोर्ड मीटिंग में मुद्दे पर चर्चा हुई लेकिन निर्णय लेने को स्थगित रखा गया। मुद्दे पर जेएसी के माध्यम से पूरी गंभीरता के साथ पैरवी की जाएगी।

शुभकामनाओं सहित

आपका साथी

(पी. अभिमन्यु)
जनरल सेक्रेटरी

प्रतिलिपिः सभी सीडब्ल्यूसी सदस्य और जिला सचिव

Central Head Quarters
Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar, Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi-110 008
Phones: 011-25705385 (Office), 011-25894862 (Fax)
Website: www.bsnleuchq.com, E-mail: chqbsnleu@sify.com